

पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची

| क्र.सं. | विवरण |
|---------|--|
| 1. | समिति/ट्रस्ट का पंजीयन प्रमाण पत्र समिति के विधान की प्रति। |
| 2. | परिशिष्ट -7 में प्रबन्ध समिति की सूची(निर्वाचन तिथि सहित) |
| 3. | प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण की प्रति एवं गत वर्ष जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति (यदि नवीन विषय/संकाय लिया हो तो अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति)। |
| 4. | स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। |
| 5. | समिति के नाम भूमि के पंजीकृत दस्तावेज पट्टा एवं परिशिष्ट -3 |
| 6. | भूमि की जमाबन्दी एवं नक्शा टेब्स |
| 7. | सम्पूर्ण भूमि का रूपान्तरण आदेश/शुल्क की रसीद एवं परिशिष्ट-1 में शपथ पत्र |
| 8. | भूमि का वर्गमीटर में माप का सक्षम अधिकारी(तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र |
| 9. | समिति का प्रस्ताव जिसमें महाविद्यालय के लिये उक्त भूमि को चिन्हित किया गया हो |
| 10. | पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार करवाकर सक्षम अधिकारी(सार्वजनिक निर्माण विभाग(PWD) अधिकारी अथवा पंचायत समिति(JEN) द्वारा प्रमाणित भवन का नक्शा(ब्ल्यू प्रिन्ट) जिसमें खसरा नं. व पूर्ण पता लिखा हो। जिसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित किया गया हो |
| 11. | भवन के पंजीकृत दस्तावेज(विक्रय पत्र/दान पत्र) अथवा पंजीकृत किरायानामा अथवा स्वयं की भूमि पर ही भवन स्थित होने का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र |
| 12. | नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र |
| 13. | महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक स्टाँफ की UGC द्वारा निर्धारित अहर्ता से संबंधित दस्तावेज एवं विवरण |
| 14. | महाविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक स्टाँफ का विवरण |
| 15. | यदि स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकरण है तो - प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति का सम्बद्धक वि.वि. से अनुमोदन आदेश अथवा प्रेषित पत्र की छायाप्रति व स्टाँफ की सूची प्रस्तुत करें - स्टाँफ की भविष्य निधि(पी.एफ.) कटौती का प्रमाण - कॉलेज परिषद की सूची |
| 16. | यदि महाविद्यालय का महिला शिक्षा से सहशिक्षा में परिवर्तन का प्रकरण है तो 25 प्रतिशत अभिभावकों के सहमति पत्र की प्रति। |
| 17. | मानदण्डानुसार एफ.पी.आर. की छाया प्रति(एफ.पी.आर. महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक(नि.सं.) के संयुक्त नाम से होना आवश्यक है। |
| 18. | यदि महाविद्यालय पिछड़ा/आरक्षित विधान सभा क्षेत्र में स्थित है तो सक्षम प्राधिकारी का नवीनतम प्रमाण पत्र। |
| 19. | निरीक्षण अधिकारी से प्रमाणित नवीनतम छायाचित्र- भूमि भवन पुस्तकालय वाचनालय प्रयोगशाला कक्षा-कक्ष शौचालय एवं क्रीड़ा कक्ष खेल मैदान पेयजल। |
| 20. | यदि महाविद्यालय का महिला शिक्षा से सहशिक्षा में परिवर्तन का प्रकरण है तो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति। |
| 21. | यदि महाविद्यालय का नाम परिवर्तन का प्रकरण है तो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति। |
| 22. | यदि महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन का प्रकरण है तो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति एवं नवीनतम भूमि के पंजीकृत दस्तावेजों व रूपान्तरण आदेश की प्रति एवं सक्षम अधिकारी व निरीक्षण अधिकारी द्वारा नवीन भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिंट प्रस्तुत करें। |
| 23. | यदि महाविद्यालय का प्रबन्ध अन्तरण का प्रकरण है तो परिशिष्ट-8 ,प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति व समस्त आवश्यक दस्तावेज-भूमि भवन रूपान्तरण नवीन ब्ल्यू प्रिंट आदि। |
| 24. | निर्धारित शुल्क की रसीद |
| 25. | यदि विधि महाविद्यालय हो तो बार कॉसिल ऑफ इण्डिया(BCI) से सम्बद्धता पत्र की प्रति। |
| 26. | परिशिष्ट- 4 |
| 27. | भूमि एवं भवन का GOOGLE MAP |
| 28. | भवन के छायाचित्र |
| 29. | स्टाँफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने का गत तीन माह का प्रमाण |
| 30. | विश्वविद्यालय से संचालित विषय /संकाय हेतु प्राप्त अद्यतन सम्बद्धता आदेश की प्रति |